



उत्तराखण्ड सरकार

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखीपण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

Email: dghealth.uttarakhand@gmail.com, Tel: 0135-2608736/63, Fax: 0135-2608746

पत्रांक-पी0ए0-डी0जी0एम0एच0 / 2021 / 296

दिनांक 03 अक्टूबर, 2021

प्रेषित,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्साधीशक, जिला/उप जिला चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त चिकित्साधीशक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

विषय-RT-PCR test की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लक्षणयुक्त सभी व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक, आप विदित ही हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर के तीव्र गति से फैल रहे सङ्क्रमण के कारण अधिक संख्या में व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं, की रोकथाम के दृष्टिगत RT-PCR test के दौरान रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लक्षणयुक्त सभी व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालयों में भर्ती कर उपचार किया जाना है।

अतः उक्त के दृष्टिगत राज्य स्तरीय कोविड-19 टास्क फोर्स समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी RT-PCR test की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, परन्तु उनमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई दें तो, ऐसी स्थिति में यदि इस तरह के व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती कर इलाज किए जाने की आवश्यकता है, तो बिना किसी विलम्ब के रोगी को तत्काल चिकित्सालय में भर्ती करते हुए इलाज प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें तथा किसी भी दशा में रोगी को उचित सेवाओं से वंचित न रखा जाए।


(तृप्ति बहुगुणा)
महानिदेशक

पुष्पांकन संख्या:- पी0ए0-डी0जी0एम0एच0 / 2021 / 296 (1) तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तराखण्ड शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. कार्यालय आदेश पंजिका।


(तृप्ति बहुगुणा)
महानिदेशक